

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या- 2128/2014/जयपुर
2. अपील संख्या- 2129/2014/जयपुर
3. अपील संख्या- 2130/2014/जयपुर

मैसर्स लक्ष्मी सेल्स,
बी-20, रायसर प्लाजा, इन्दिरा बाजार, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

4. अपील संख्या- 299/2015/जयपुर
5. अपील संख्या- 300/2015/जयपुर
- ✓ 6. अपील संख्या- 301/2015/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स लक्ष्मी सेल्स,
बी-20, रायसर प्लाजा, इन्दिरा बाजार, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक।
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से.

दिनांक : 05.09.2017

निर्णय

1. अपील संख्या 2128/2014, 2129/2014 व 2130/2014 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 299/2015, 300/2015 व 301/2015 विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.10.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये अन्तर कर एवं ब्याज मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रख कर इन बिन्दुओं पर अपील अस्वीकार किये जाने पर अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है, इसके साथ ही विभाग द्वारा भी अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई हैं, अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

Amrinder
05/09/17

11-

लगातार.....2.

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धारण आदेश दिनांक	अपी. अधि. आदेश	कर निर्धार. वर्ष	विवादित कर	ब्याज अन्तर्गत धारा 55	शास्ति अन्तर्गत धारा 61(2)(बी)
2128/14	381/अपील्स-III/आरवीए टी/एफ/जयपुर	09.09.2013	21.10.2014	11-12	1206680	313737	—
2129/14	382/अपील्स-III/आरवीए टी/एफ/जयपुर	09.09.2013	21.10.2014	12-13	3233018	452623	—
2130/14	383/अपील्स-III/आरवीए टी/एफ/जयपुर	09.09.2013	21.10.2014	13-14	1057352	21147	—
299/15	381/अपील्स-III/आरवीए टी/एफ/जयपुर	09.09.2013	21.10.2014	11-12	—	—	2413360
300/15	382/अपील्स-III/आरवीए टी/एफ/जयपुर	09.09.2013	21.10.2014	12-13	—	—	6466036
301/15	383/अपील्स-III/आरवीए टी/एफ/जयपुर	09.09.2013	21.10.2014	13-14	—	—	2114704

- समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 11.07.2013 को किये जाने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में बैट्री / एडोपटर / मोबाईल चार्जर की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से वेट वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा माना गया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद बैट्री / एडोपटर / मोबाईल चार्जर अधिनियम की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठम में अधिसूचित वस्तु नहीं होने के कारण यह अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत सामान्य कर दर 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में उक्त तालिका अनुसार 9 प्रतिशत की दर से अंतर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपीलें बिक्रीत उत्पाद बैट्री / एडोपटर / मोबाईल चार्जर पर आरोपित धारा 61 की शास्ति को अपास्त किया तथा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर तथा विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।
- उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा बैट्री / एडोपटर / मोबाईल चार्जर पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित सामान्य कर को यथावत रखना अनुचित एवं अविधिक है। उक्त वस्तुएँ मोबाईल फोन बैट्री / मोबाईल चार्जर अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 65 के पार्ट ए की

अपीलार्थी
21.09/17

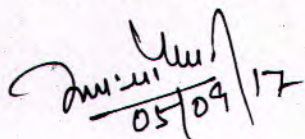
115

लगातार.....3.

-3- अपील सं. 2128, 2129 एवं 2130/2014 तथा 299, 300 एवं 301/2015/जयपुर प्रविष्टि संख्या 12 व 28 से आच्छादित है, जो एक मॉडल स्पेसिफिक वस्तुएं होने के कारण अन्यथा किसी प्रकार से उपयोग नहीं किये जाने से यह वस्तुएं मोबाईल फोन के पार्ट्स की श्रेणी में आती है। विशिष्ट मोबाईल बैटरी केवल मात्र विशिष्ट मोबाईल यंत्र में प्रयोग होती है एवं इसका अन्य कोई प्रयोग नहीं होता है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह कथन रहा है कि अधिनियम में I.T. Products की प्रविष्टियां अधिसूचित है। सभी उत्पाद एक दूसरे से पृथक है। इस लिये उन्हें पृथक से पढ़ा जाना चाहिये। प्रविष्टि संख्या 28, प्रविष्टि संख्या 1 से 27 तक की आईटम के पार्ट्स से संबंधित है। पार्ट्स की प्रविष्टि को पृथक से पढ़ना चाहिये। जब मुख्य आईटम के पार्ट्स जो प्रविष्टि संख्या 1 से 27 के Covered है उनको विक्रय किया जाता है तब उनपर Entry No. 28 की दर से कर देयता बनती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको Entry No. 1 से 27 के मुख्य आईटम के साथ बेचा गया है या उसके बिना अलग से बेचा गया। यदि यहां विधायिका की अन्यथा यह मंशा रही होगी कि मोबाईल फोन के पार्ट्स की दर Entry No.12 के तहत बैटरी चार्जस को अलग रखते हुए अलग से अधिसूचित की जायेगी। लेकिन Entry No.28 में Goods को परिभाषित करते हुए List नहीं है यह तो स्पष्ट करती है कि Entry No.1 से 27 के पार्ट्स उसमें सम्मिलित है। अतः बैटरी, मोबाईल चार्जस का उपयोग cellular phone में किये जाने के कारण उक्त वस्तुएं cellular phone के पार्ट्स है जो अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 65 के पार्ट A प्रविष्टि संख्या 12 व 28 के अन्तर्गत आते है। इसलिये इनपर अनुसूची IV के भाग A के लिये निर्धारित दर से कर देयता बनती है न कि सामान्य दर से।

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी को सामान्य कर दर से निर्धारित नहीं करते हुए अनुसूची चतुर्थ के तहत निर्धारित किया है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही वर्तमान प्रकरणों में भी इसी प्रकार बैटरी की कर दर देय होगी। आगे यह कथन किया है कि बैटरी चार्जर के बिना मोबाईल संचालित ही नहीं हो सकते है, अतः इन पर भी माननीय राजस्थान का उपरोक्त उद्धरित निर्णय के सिद्धान्त लागू होने से 5/5.5 प्रतिशत की करदेयता लागू होगी। उन्होंने उक्त निर्णयों के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये:-

(i) The High Court of Jaipur Bench Jaipur S.B. Revision Petition No. 129 of 2012 M/s Marathon India Ltd Vs Commercial Taxes Department, Circle "J", Jaipur Dated 02-12-2016


05/09/17

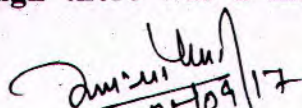


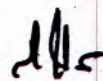
लगातार.....4.

- (ii) The High Court of Jaipur Bench S.B. Sales Tax Revision No. 297/2011 Assistant Commercial Tax Officer, Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik Agencies, Ajmer Date 16-08-2015
 - (iii) Supreme Court of India Assistant Commercial Tax Officer Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik agencies, Ajmer Date 28-03-2016.
 - (iv) Supreme Court of India Assistant Commercial Taxes Officer Vs M/s Industrial Instruments, Jodhpur Dated 21.01.2015
 - (v) In the Supreme Court of India Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd.
 - (vi) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1998 से 2002/2013/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०, जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 05.06.2017.
 - (vii) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 853 से 855/2015/जयपुर मैसर्स माइक्रोमैक्स इन्फोरमेटिक्स लि०, जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 27.06.2017.
 - (viii) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 436 से 439/2016/अलवर मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा०लि०, अलवर बनाम अपीलीय प्राधिकारी अलवर निर्णय दिनांक 29.06.2017.
 - (ix) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 509 एवं 510/2015/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2017
 - (x) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 235 से 237/2015/जयपुर मैसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, जयपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2017
7. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का एवं शास्ति की राशि जो अपास्त की गई है उसको पुर्नस्थापित किये जाने का निवेदन किया।
8. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि मोबाईल फोन के साथ विक्रय की गई बैटरी एवं एडोप्टर/चार्जर पर कर देयता किस दर से निर्धारित होगी? इस संबंध में हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं० 129/2012 मैरथॉन इण्डिया लि० बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 'में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है, जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय का सुसंगत विवरण निम्नानुसार है :-

".....This court in ACTO V. M/s Swastik Agencies(supra), had an occasion to consider a case where battery which was fitted into a Motor Car and this court, after taking into consideration few of the judgments, held that same rate is to be applied on sale of batteries as that of a motor Car, though there was a finding that the batteries which are to be fitted in

लगातार.....5.





Motor Cars can be used for other diverse purposes then too, this court came to the conclusion that a nominal sale be that as it may of such batteries could not alter the nature of the transaction, whereas in the instant case there is a specific certificate of the Army Authority that the said battery can only be used as a part/integral part of RCRs, addmittedly entire sale is to the ARMY only and for specific use alone.

.....
In the case of Vikas Traders V. The State of Gujarat (supra), the court took into consideration as to whether batteries were component parts and there was a finding that batteries were being used for tractors as well, and tractor being not motor vehicle, therefore, claim of the Revenue was that different rate would apply, however, the court analysing the provisions, came to the conclusion that battery specifically falls as component part even though it has been used in a tractor and thus directed to apply the same rate.

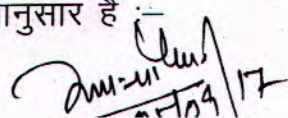
.....
The Allahabad High Court in the case of Tudor India Limited V. State of U.P.2014 SCC Online All 11944, had also a occasion of considering sale of automotive batteries and held that battery is an essential component for the functioning of tractor and is an integral part of tractor and, therefore, the same rate was required to be applied.

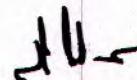
The Allahabad High Court in the case of Commissioner of Sales Tax V. Banaras Battery Works 1981 U.P.T.C 974, had an occasion to consider whether battery is an accessory or a part and it held that while an accessory has been held to be an article which is used for convenient and smooth functioning, whereas a battery caanot be said to be an accessroy rather a vehicle is not complete without battery as the vehicle cannot operate without a battery, therefore, battery is a component part of motor vehichle and held that same rate is applicable.

The judgment in the case of State of Uttar Pradesh & Anr. V. Kores(India) Ltd. (supra) was relating to ribbon used in a typewriter, and the court found as finding of fact that it was an accessory and not a part of typewriter(unlike spool), though it may not be possible to use the latter without the former. The apex court also found that typewriters are being sold in market without a typewriter ribbon and, therefore, typewriter ribbon si not an essential part of typewriter so as to attract a lower rate of tax, and facts are distinguishable as in the instant case it is an integral part of RCR and cannot be separated.

Taking into consideration the aforesaid and for the reason assigned, the claim of assessee, in my veiw, appears to be just and proper and the rate of 4% was rightly paid by the assessee and is not required to be interfered with. The petition succeeds and the order of Tax Board dt 28.03.2012 is reversed."

9. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया बाध्यकारी एवं आच्छादित है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत बैटरी पर 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता विधिसम्मत है। अतः इस बिन्दु पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज अपास्त कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को भी निरस्त किये जाने योग्य है।
10. जहां तक व्यवहारी द्वारा बिक्रीत एडोप्टर/मोबाईल चार्जर का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. निर्णय तिथि 17.12.2014 का सुसंगत वर्णन निम्नानुसार है :





लगातार.....6.

"In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. we further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone."

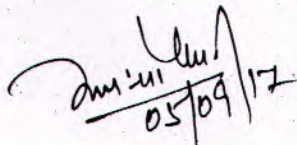
11. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 06.03.2013 से संशोधन होने से प्रविष्टि सं० 1 से 27 तक के आइटम की एसेसरीज को भी 5/5.5 प्रतिशत की कर देयता में रख दिये जाने से दिनांक 06.03.2013 के पश्चात बैटरी चार्जर पर कर दर संशोधित दर 5/5.5 प्रतिशत लागू होगी। परन्तु दिनांक 06.03.2013 से पूर्व बैटरी चार्जर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. के अनुसार सामान्य कर दर देय होगी।
12. शास्ति अपास्त किये जाने के विरुद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या क्रमशः 299/2015/जयपुर लगायत 301/2015/जयपुर के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाना समीचीन है :-

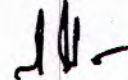
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

13. राजस्व का ऐसा कोई आक्षेप नहीं है कि व्यवहारी ने बिक्री के संव्यवहारों को लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज नहीं किया हो तथा व्यवहारी द्वारा कोई प्रविष्टियां छिपायी गई हो। व्यवहारी द्वारा कर की दर को चुनौती दी गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 21.10.2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टान्त श्रीकृष्णा इलेक्ट्रोनिक्स व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त CTO V/s Shyam Agency (S.B. Sales Tax Revision No.42/2014) निर्णय दिनांक 26.08.2014 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में व्यवहारी के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया। इस प्रकार जब व्यवहारी के बिक्री के समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज है तथा व्यवहारी द्वारा प्रविष्टियां छिपायी नहीं गयी है तथा व्यवहारी का दोष अन्यथा सिद्ध नहीं किया गया है तब उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में शास्ति को अपास्त किये जाने के निष्कर्ष से यह

लगातार.....7.

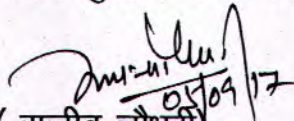

05/09/17

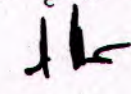


खण्डपीठ सहमत है। अतः शास्ति को अपास्त किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इस प्रकार शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का निर्णय दिनांक 21.10.2014 पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

- (i) परिणामस्वरूप व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2128/2014/जयपुर लगायत 2130/2014/जयपुर आंशिक रूप से इस प्रकार स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत बैटरी पर 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर की देयता है। अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 06.03.2013 से संशोधन होने से प्रविष्टि सं० 1 से 27 तक के आइटम की एसेसरीज को भी 5/5.5 प्रतिशत की करदेयता में रख दिये जाने से दिनांक 06.03.2013 के पश्चात बैट्री चार्जर पर कर दर संशोधित दर 5/5.5 प्रतिशत लागू होगी। परन्तु दिनांक 06.03.2013 से पूर्व बैट्री चार्जर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. के अनुसार सामान्य कर दर देय होगी। अतः इस बिन्दु पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज को यथावत रखने के अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.10.2014 को भी निरस्त किया जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार करारोपण हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।
- (ii) विभाग/राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 299/2015/जयपुर लगायत 301/2015/जयपुर अस्वीकार की जाती है। अतः शास्ति के इन बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 21.10.2014 की पुष्टि की जाती हैं।
14. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति समस्त पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जाये।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष